

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:—फतहलाल

विपक्षी:— सरकार

किस्म मुकदमा:—प्रा.पत्र 212 पत्रावली संख्या:—29/19

सन:— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>29.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वास्ते प्रकरण विद्दो किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रकरण का मुल वाद साक्ष्य वादी हेतु विचाराधीन हैं। प्रार्थी अपने वाद को साक्ष्य के आधार पर साबित करायेगा। जिससे प्रार्थी इस प्रकरण में विपक्षीगण के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाहता हैं एवं यह प्रकरण विपक्षीगण के विरुद्ध विद्दो करना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विद्दो का स्वीकार फरमाया जावें।</p> <p>न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुल वाद साक्ष्य वादी हेतु नियत होकर प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाही जाने से प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विद्दो का प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विद्दो का स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जाती हैं।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर</p>	

